न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

मु0न0 : 228/2020 (2020/00351)

बाधो देवी पत्नी श्री महावीर प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज0

—वादिया

बनाम

1. सुलोचना पत्नी स्व.वीरसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज0
2. सुनील पुत्र स्व.वीरसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज0
3. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री योगेश शर्मा : **वादिया**

वकील श्री महेश बंसल : **प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2**

निर्णय **दिनांक :** 20/9/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 3 बरवाली के खाता सं0 103/91 के मु0नं0 7 की 1.5180 है0 मु0नं0 8 की 1.0120 है0 कुल 2.5300 है0 कृषि भूमि जो कि प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के पति/पिता के देहान्त के बाद उन्हें विरासतन प्राप्त हुई है।

वीरसिंह ने अपनी जीवनकाल में उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से मु0नं0 7 के किला नं0 11 की 0.253 है0 में से पूर्व दिशा में 0.190 है0, किला नं0 12 की 0.253 है0 किला नं0 19 की 0.253 है0, किला नं0 20 की 0.253 है0 में से पूर्व दिशा में 0.190 है0 किला नं0 21 की 0.253 है0 में से पश्चिम दिशा में 0.126 है0, मु0नं0 8 के किला नं0 25 की 0.253 है0 कुल किता 6 कुल क्षेत्रफल 1.265 है0 बारानी खातेदारी को वादी बाधो को जरिये बैयनामा दिनांक 14.11.2019 को बेचान कर दी और मौका उपरोक्तानुसार काबिज कर दिया, तब से लेकर आज तक उपरोक्त खरीद शुदा कृषि भूमि वादिया के कब्जा काश्त में चली आ रही है। किन्तु वीरसिंह के देहान्त के बाद प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने वीरसिंह के नाम सम्पूर्ण कृषि भूमि का नामान्तरण अपने नाम दर्ज करवा लिया। इसलिए वादिया अपने द्वारा खरीदशुदा कृषि भूमि की अपने नाम से घोषणा करवा पाने की अधिकारी है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादिया एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 3पेरोकार राज ने जवाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादिया में वादियाबाधो देवी के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति बैयनामा दिनांक 14.11.2019 प्रदर्श 1ए, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 3 बीआरडब्ल्यु खाता सं 103/91 सम्वत् 2076 से 79प्रदर्श 2, असल प्रति राजीनामा प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
जिला-हनुमानगढ़

बहस वकील वादियासुनी गई । दौराने बहस वकील वादिया ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद कृषि भूमि वादिया बाधो देवी की खरीद शुदा कृषि भूमि बैयनामा की प्रति पत्रावली पर प्रस्तुत है एवं वादिया एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादिया की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया। हस्तगत प्रकरण वादियाने रोही मौजा चक 3 बीआरडब्ल्यु में अपने द्वारा खरीदशुदा कृषि भूमि की अपने नाम घोषणा करवाने व राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवानेहेतु पेश किया है। वादिया ने अपने दावा के समर्थन में चित्रप्रति बैयनामा दिनांक 14.11.2019 प्रदर्श 1ए प्रदर्शित करवाई है जिसमें चक 3 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 91/88 की कृषि भूमि में से वीरसिंह द्वारा 1.265 है0 कृषि भूमि बाधो देवी पत्नि महावीर प्रसाद को दिये जाने की पुष्टि होती है एवं वादिया एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया है। वादिया के दावा का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं हुआ है। इसलिए वाद वादिया मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादिया मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 3 बीआरडब्ल्यु के खाता सं0 103/91 के मु0नं0 7 के किला नं0 11 की 0.253 है0 में से पूर्व दिशा में 0.190 है0, किला नं0 12 की 0.253 है0, किला नं0 19 की 0.253 है0, किला नं0 20 की 0.253 है0 में से पूर्व दिशा में 0.190 है0, किला नं0 21 की 0.253 है0 में से पश्चिम दिशा में 0.126 है0, मु0नं0 8 के किला नं0 25 की 0.253 है0 कुल किता 6 कुल क्षेत्रफल 1.265 है0 बारानी खातेदारी की वादिया बाधो देवी खातेदार काश्तकार है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/9/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
R.A.S.
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़